राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 487/2015/उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
पतिकरापवंचन–प्रथम, बांसवाडा। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स स्टार सर्जिकल एण्ड केमीकल्स,
उदयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 11/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 116/वैट/14–15/उदयपुर में पारित आदेश दिनांक 23.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित कर राशि रूपये 1,829/– एवं शास्ति राशि रूपये 10,975/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 25.08.2014 को वाहन संख्या एच.आर.61–8458 को एन.एच.–8, खैरवाडा पर रोककर चैक किया गया। वक्त जांच परिवहनित माल के साथ मैसर्स स्टार सर्जिकल उदयपुर द्वारा आयातित माल लेटेक्स ग्लोव्ज के समर्थन में बिल, एवं वैट–47 नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल को निरूद्ध किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ बिल एवं वैट–47 नहीं होने से इसे अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कर राशि रूपये 1,829/– एवं शास्ति राशि रूपये 10,975/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की नियत से बिना बिल एवं वैट–47 के माल का परिवहन किया जा रहा था। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य बाहर (महाराष्ट्र) से राज्य में (उदयपुर) बिना बिल व वैट–47 के लैटक्स ग्लोव्ज का परिवहन किया जा रहा था। चूंकि लैटक्स ग्लोव्ज "रबर" का ही एक रूप है, एवं राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन संख्या 12(84)FD/Tax/2009-21 दिनांक 08.07.2009 में अधिसूचित वस्तुओं की सूची संख्या 31 पर "Rubber and goods made of rubber" अंकित है। अतः इस नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य बाहर से आयातित रबर एवं रबर से बने उत्पाद के साथ वैट–47 की आवश्यकता होती है, जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल का परिवहन बिना वैट–47 के किया जा रहा था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर बिना दस्तावेजों के माल के परिवहन कर अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत जो शास्ति का आरोपण किया है, वह उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2014 को अपास्त करके कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुनर्स्थापित (Restore) किया जाता है।

6. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य